



प्रेस नोट

दिनांक 29.11.2024

### अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना मझगवां व थाना राठ से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

#### जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- अमित सिंह पुत्र स्व0 जगराम सिंह निवासी ग्राम लिधौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 09.11.2024 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त कपिल पुत्र चन्द्रभान राजपूत निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 09.11.2024 से 06 माह।
- 3.अभियुक्त खालिक कुरैशी उर्फ खालिक कसाई पुत्र रमजान निवासी मुहल्ला फरसौलियाना थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 09.11.2024 से 06 माह।